

पत्र सूचना शाखा  
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने जनपद आजमगढ़ में अवैध शराब के सेवन की घटना के मृतकों के आश्रितों को 02–02 लाख रु0 की आर्थिक सहायता की घोषणा की

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम अवैध शराब के विरुद्ध प्रदेशव्यापी सघन प्रवर्तन अभियान 8 जुलाई से 14 जुलाई, 2017 तक चलाया जा रहा है

अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 11 जुलाई, 2017 तक पकड़े गए कुल अभियोगों की संख्या 3727 रही तथा इस सम्बन्ध में 223 लोगों को जेल भेजा गया

जनपद आजमगढ़ में अभियान के तहत अब तक 60 एफ0आई0आर0 दर्ज तथा 46 लोग गिरफ्तार

लखनऊ : 12 जुलाई 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद आजमगढ़ के रौनापार इलाके में अवैध शराब के सेवन की घटना के मृतकों के आश्रितों को 02–02 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा अवैध शराब से जुड़े तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 8 जुलाई से 14 जुलाई, 2017 तक चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी सघन प्रवर्तन अभियान के तहत 11 जुलाई, 2017 तक पकड़े गए कुल अभियोगों की संख्या 3727 रही तथा इस सम्बन्ध में 223 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सघन प्रवर्तन अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ में अब तक 60 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं तथा 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।